न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगंज, जिला बारां, राज0

पीठासीन अधिकारी चंदन दुबे (आर.ए.एस.)

प्रकरण सं0 49/17
दायरा दिनांक 07.07.2017
निर्णय दिनांक 26.12.2019

बउनवान

1. रमेश उम्र 71 वर्ष पुत्र गोप्या जाति बसेडा(बांसफोड) निवासी रामगढ़ तहसील किशनगंज जिला बारां राज0 हाल निवास शाहबाद

वादी

बनाम

1. कस्तुरचन्द पुत्र बालचन्द । जातिगण बसेडा (बांसफोड) निवासीगण
2. सेवाराम पुत्र बालचन्द । रामगढ़ तहसील किशनगंज जिला बारां
3. सत्यनारायण पुत्र धन्नालाल । राज0
4. राज0 सरकार जर्ये तहसीलदार किशनगंज जिला बारां (राज0)

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 188 आर0टी0 एक्ट

निर्णय दिनांक :—26.12.2019

वादी ने वादपत्र अन्तर्गत धारा 188 आर0टी0 एक्ट जरिये अभिभाषक श्री विजय प्रकाश नागर ने पेश किया वाद पत्र मे कथन किया

1. यह कि वाके ग्राम रामगढ पटवार क्षैत्र रामगढ़ तहसील किशनगंज जिला बारां राज0 मे स्थित खेवट खतौनी संख्या नयी 257 पुरानी 252 के खसरा सं0 374 रकबा 0.19 बीघा स्थित है। जो वादी के खाते दर्ज हैं इस आराजी को वाद पत्र मे आगे वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया गया है।
2. यह कि वादग्रस्त आराजी का एक मात्र स्वामी वादी है। वादी एक सीनियर सीटीजन है। जो वर्तमान मे अपने पुत्र के पास शाहबाद मे निवास करता है। वादी की इसी बात का फायदा उठाकर प्रतिवादीगण क्रमांक 1 ता 3 ने वादी की उक्त वादग्रस्त आराजी को जबरन ताकत के बल पर खुर्द बुर्द करना प्रारम्भ कर दिया है। प्रतिवादीगण क्रमांक 1 ता 3 ने बिना वादी की सहमति के बिना किसी विधिक अधिकार के उक्त वादग्रस्त आराजीपर निर्माण कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है। जिसका उन्हे कोई अधिकार नही है। इसलिए वादी खिलाफ प्रतिवादीगण क्रमांक 1 ता 3 स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है।
3. यह कि वादी ने प्रतिवादी क्रमांक 1 ता 3 से वादग्रस्त आराजी पर किसी प्रकार का निर्माण कर अवैध कब्जा न करने के लिए दिनाकं 22.06.2017 को

कहा तो प्रतिवादीगण क्रमांक 1 ता 3 ने वादी को डरा धमकाकर भगा दिया। इसलिए वाद कारण उत्पन्न हुआ।

4. यह कि राजस्थान सरकार सर्वोच्च भू–स्वामी होने से वाद पत्र मे पक्षकार बनाया गया है तथा राजस्थान सरकार के खिलाफ वाद मे कोई रिलीफ नही मांगी गई है। इसलिए राजस्थान सरकार को 80 सी0पी0सी0 के नोटिस की आवश्यकता नही है।
5. यह कि वादी ने प्रतिवादीगण क्रमांक 4 के समक्ष दिनांक 31.01.2017 को सीमाज्ञान/पैमाईश का आवेदन भी किया हुआ है।
6. यह कि वादग्रस्त आराजी किशनगंज तहसील क्षैत्र मे स्थित होने से माननीय न्यायालय को श्रवणाधिकार व क्षैत्राधिकार प्राप्त है।
7. यह कि वादपत्र उचित न्याय शुल्क पर अवधि मध्य पेश है।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वादी का वाद स्वीकार कर खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न आशय की डिक्री सादिर फरमाई जावे।

(अ) कि वाके ग्राम रामगढ़ पटवार क्षैत्र रामगढ तहसील किशनगंज जिला बारां राज0 मे स्थित खेवट खतौनी संख्या नयी 257 पुरानी 252 के खसरा संख्या 374 रकबा 0.19 बीघा स्थित है पर प्रतिवादीगण क्रमांक 1 ता 3 किसी प्रकार का निर्माण न तो स्वयं करे न अपने किसी प्रतिनिधी से करावे। इस बात की स्थायी निषेधाज्ञा जारी कि जावे।

(ब) कि वाद पत्र मद नं0 1 मे वर्णित आराजी का सीमाज्ञान/पेमाईश कर वादी को सम्भलाई जावे।

(स) कि वादपत्र मद नं0 1 मे वर्णित आराजी पर यदि बाद पैमाईश/सीमाज्ञान प्रतिवादीगण क्रमांक 1 ता 3 का अवैध निर्माण निकले या उनके किसी प्रतिनिधी का अवैध निर्माण निकले तो उसे भी हटाने की कृपा करे।

(द) कि वाद पत्र मद नं0 1 मे वर्णित आराजी पर बाद पैमाईश/ सीमाज्ञान अवैध निर्माण हटाने मे होने वाला खर्च वादी को प्रतिवादीगण से दिलाया जावे।

रिपोर्ट सरिस्ता ली गई, प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी हेतु नोटिस सम्मन जारी किये नियत तिथि को प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता घासीलाल वर्मा ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी अधिवक्ता को जवाब हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी जवाब पेश नही किया। नियत तिथि को प्रतिवादी/ प्रतिवादी अधिवक्ता अनुपस्थित आवाज लगवाई गई प्रतिवादी/प्रतिवादी अधिवक्ता कोई उपस्थित नही अतः प्रतिवादीगण के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई जाती है। वादी अधिवक्ता ने साक्ष्यवादी मे PW-1 रमेश, PW-2 दशरथ के बयान लेखबद्व करवाये गये। दौराने साक्ष्य PW-1 है। ने जाहिर किया मैं प्रतिवादीगणों को जानता हुॅ। जो रामगढ़ रहते है। रामगढ़ के माल मे ख0न0 374 रकबा 19 बिस्वा मेरे खाते दर्ज है। प्रतिवादीगण क्रम 1 ता 3 मुझे मेरे खाते की जमीन पर

मुझे काश्त करने मे परेशान करते है। मेने वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादीगण से परेशान करने का कारण पुछा तो प्रतिवादीगण लठठ लेकर माने आ गये। मेने प्रतिवादीगण के खिलाफ न्यायालय से मेरी जमीन पर दखलअन्दाजी न करे। इस बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया जो न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया जिसकी जानकारी प्रतिवादीगण को है। इसके बावजूद प्रतिवादीगण मुझे मेरी खाली जमीन पर काश्त नही करने देते । काश्त करने पर परेशान करते है। मेने वादपत्र के साथ जमाबन्दी पेश की है। जो ग्राम रामगढ जो सम्वत् 2070–73 हे जेा प्रदर्थ P-1 है। मेने आराजी नक्शा ट्रैस पेश किया है जो प्रदर्श P-2 है। मेने खसरा गिरदावरी पेश है जो प्रदर्श P-3 है। मेने मेरा आधार कार्ड पेश किया है जो प्रदर्श P-4 है। मेने तहसीलदार महोदय किशनगंज को वर्ष 2017 मे पेमाईश प्रार्थना पत्र की फोटो प्रति पेश की है जो संलग्न पत्रावली है। मुझे मेरे खाते की जमीन सीमाज्ञान/पेमाईश कर संभलाई जावे तथा यदि मेरी जमीन पर प्रतिवादीगण या अन्य किसी प्रतिनिधि का अवैध अतिक्रमण हे तो उसे हटाया जावे तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि भविष्य मे मेरी इस आराजी पर दखलअन्दाजी न करे। वादी अधिवक्ता और साक्ष्य पेश नही करना चाहते वादी अधिवक्ता की साक्ष्यवादी बन्द की जाती है।

वादी अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सूनी गई दौराने बहस वादी अधिवक्ता ने अपने वादपत्र को दोहराया और निवेदन किया वाकेग्राम रामगढ़ की आराजी ख0न0 374 रकबा 0.19 बीघा को पेमाईश करवा कर अवैध निर्माण हटवाया जावे। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली मे उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का गहनता से अध्ययन किया गया।

अद्योपान्त विवेचनानुसार वादी का वादपत्र स्वीकार योग्य है। अतः इस आशय का निर्णय पारित किया जाता है कि

–:क्रियात्मक आदेशः–

प्रतिवादीगण क्रम 1 ता 3 को इस कदर स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वाकेग्राम ग्राम रामगढ़ पटवार हल्का रामगढ़ तहसील किशनगंज मे स्थित आराजी खेवट खतौनी संख्या नयी 257 पुरानी 252 के खसरा संख्या 374 रकबा 0.19 बीघा पर प्रतिवादीगण 1 ता 3 किसी प्रकार का निर्माण न तो स्वयं करे न अपने किसी प्रतिनिधी से करावे तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 26.12.2019 को सरेइजलास सुनाया गया।

(चन्दन दुबे)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगंज

Signature Not Verified
Digitally signed by Chandan Dubey
Date: 2020.02.07 12:23:07 IST
Reason: SelfAttested
Location: